पुस्तकालय

2589
3/4/07

23 MAR 2007

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग I–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०....910.....तिथि 3/4...

बि०स० मु० (एल० ए०) 220--मानो--1,000--8·6·2004

अच्छी नहीं होती है । इसलिये महोदय,आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि ऊर्जा विभाग या नगर विकास विभाग आपस में समन्वय करके एक नियत समय के अन्दर इसके दोनों ओर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था करायेगी ?

श्री विजेन्द्र प्र० यादव,मंत्री : महोदय, नगर विकास विभाग के साथ एक बैठक बुला कर इस समस्या का निदान जल्द ही निकाल लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं०-१७२६(श्री रामलखन महतो)
(प्रश्नकर्त्ता मा० सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं०-१७२७(श्री रामलखन महतो)
(प्रश्नकर्त्ता मा० सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अनुपस्थित और साथ ही साथ यह पर्यटन विभाग से युवा,कला संस्कृति विभाग में स्थानांतरित ।

तारांकित प्रश्न सं०-१७२८(श्री अनिल चौधरी)
(प्रश्नकर्त्ता मा० सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं०-१७२९ (श्रीमती रेणु कुमारी)

श्री चन्द्रमोहन राय,मंत्री : महोदय, कंडिका १ और २ का साथ ही जवाब दे रहे हैं । उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उपाधीक्षक का पद पूर्व में स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग का पद था बाद में उस सम्वर्ग के लिये चिन्हित पदों में अब वह पद सम्मिलित नहीं है । यह पद चिकित्सा शिक्षा सम्वर्ग में भी नहीं है । फलस्वरूप तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत एवं लोकहित में डा० अशोक कुमार सिंह और डा० आर० के० सिंह को क्रमशः दिनांक १६.७.०१ एवं दिनांक २.१.२००७ से पदस्थापित हैं । दोनों चिकित्सक वरीय वेतनमान के पदाधिकारी नहीं हैं, इन पदों को सम्वर्गविशेष में चिन्हित करते हुए वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को पदस्थापित करने पर सरकार निर्णय लेनेवाली है ।

तारांकित **प्रश्न संख्या-१७२९ का पूरक**

श्रीमती रेणु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो कह ही दिया कि निर्णय लेने वाले हैं । पर हम भी यही चाहेंगे कि पूववर्त्ती सरकार में जो अन्याय हुआ था, उसको इस सरकार जल्दी ही कदम उठायेगी ताकि असंतोष न फैले ।

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या की जो चिन्ता है, वह मेरी भी चिन्ता है और इसके बारे में निर्देश भी दिया जा चुका है और जल्दी ही उनको चिंहित करके वरीय कोटि में शामिल करके समुचित पदस्थापन किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-१७३०, मा० सदस्य श्री अनिल सिंह

(इस अवसर पर प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राज्य से संबंधित मामला है, इसलिए इसका जबाब माननीय मंत्री से दिला दिया जाय ।

अध्यक्ष : अथोराइजेशन तो आपके पास भी होना चाहिए था।

श्री भगवान सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी से जबाब दिला दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अगर प्रश्न का उत्तर तैयार हो तो रखें ।

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड(2) उत्तर स्वीकारात्म्क है ।

सम्प्रति में यह प्रावधान उपलब्ध नहीं हो पायेगा लेकिन कालान्तर में हृदय चिकित्सकों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सरकार जिलास्तरीय अस्पतालों में इसकी सुविधा देने पर विचार कर रही है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने जो जबाब दिया उसी के आलोक में कि क्या जबतक कॉर्डियोलोजिस्ट की व्यवस्था नहीं हो जाती है तबतक माननीय मंत्री जी एक एम०डी० फिजिशियन, जिसको एक ट्रेनिंग भी रहती है, उसकी व्यवस्था वहाँ पर करने का विचार सरकार रखती है ? इसके साथ-ही-साथ इसके टेस्ट करने के लिए जो ई०सी०जी० मशीन होता है, ई०सी०जी० मशीन का कॉस्ट बहुत कम होता है १५ से २० हजार रूपया तो क्या जिलों में कम्पलसरी ई०सी०जी० मशीन की व्यवस्था और ब्लड टेस्ट की व्यवस्था कराने का विचार सरकार रखती है ?

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हर जिला अस्पताल में एक गहन चिकित्सा कक्ष बनाने का निर्णय लिये हुए हैं और उसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गयी है ३४ लाख प्रत्येक जिला और बहुत जिलों में निर्माण कार्य भी कर रहे हैं । हम चिकित्सा गहन कक्ष को जिन इक्युपमेंट से हम उनको सुसज्जित करेंगे, उसमें ई०सी०जी० मशीन भी है । माननीय सदस्य श्री रामेश्वर जी का जो सुझाव है कि जबतक हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं होते हैं तबतक वर्त्तमान फिजिशियन के ही कुछ लोगों को शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स करा करके उस गहन चिकित्सा कक्ष का सही उपयोग हो सके हृदय रोग के लिए, इसकी व्यवस्था की जायेगी ।